/153/2023

सत्यमेव जयते

संख्या : जी0एस0 / शिक्षा / A3-122(1)/2021

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालयः उत्तराखण्डः देहरादूनः दिनांक 5 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2023

महोदय,

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्याः 2601 दिनांक 20.02.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कुलसचिव द्वारा गोपाल बाबू गोस्वामी राजकीय महाविद्यालय, चौखुटिया (अल्मोड़ा) को बी0ए0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2019–20 एवं 2020–21 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण / स्थायी सम्बद्धता प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2019–20 एवं 2020–21 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मा0 कुलाधिपति द्वारा स्वीकृति / अनुमोदन निम्न उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है :–

क्रमांक	महाविद्यालय / संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	गोपाल बाबू गोस्वामी राजकीय महाविद्यालय, चौखुटिया (अल्मोड़ा)	बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल)	240 सीट (प्रति सत्र)	2019–20 एवं 2020–21

1– निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

2– विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान किये जाने के 02 माह के भीतर अपूर्ण मानक (भवन, पुस्तकालय) को यू0जी0सी0 विनियम / नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगा तथा जिन मानकों को पूर्ण कराये जाने सम्बन्धी कार्रवाई शासन / उच्च शिक्षा विभाग से अपेक्षित हो, इस सम्बन्ध में इस सचिवालय द्वारा समय–समय पर शासन को प्रेषित एवं आपको पृष्ठांकित पत्रों के क्रम में सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

3 – महाविद्यालय को बी0ए0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2015–16 में नवीन सम्बद्धता प्रदान की गई है तथा वर्तमान में महाविद्यालय को विषयांकित पाठ्यक्रम में सत्र 2019–20 एवं 2020–21 के प्रस्ताव इस सचिवालय को उपलब्ध कराये गये हैं। सत्र 2016–17 से 2018–19 तक की सम्बद्धता अप्राप्त है जबकि इस सचिवालय के पत्र सं0–296 दिनांक 26 अप्रैल, 2019 द्वारा "एक बार समाधान के आधार पर" विश्वविद्यालयों को सत्र 2018–19 व इससे पूर्व के सम्बद्धता प्रकरणों पर 06 माह के भीतर निर्णय लिये जाने हेतु निदेशित किया गया था किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कुलाधिपति सचिवालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया जिससे प्रश्नगत सत्रों में अध्ययनरत छात्रों के हित प्रभावित होना स्वाभाविक है। इसके दृष्टिगत छात्र हित में विश्वविद्यालय उक्त

महाविद्यालय को बी0ए0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 की सम्बद्धता पर इस सचिवालय के पत्र सं0–296 दिनांक 26 अप्रैल, 2019 के अनुसार निर्णय लेते हुये कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति के अवगतार्थ इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4– उपरोक्त कार्रवाई पूर्ण होने के उपरान्त ही मानक पूर्ण होने की दशा में उक्त महाविद्यालय का विषयांकित पाठ्यक्रम में स्थायी सम्बद्धता प्रस्ताव पृथक से प्रेषित किया जाय।

5– अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियमों/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Signed by Ravinath Raman
Date: 05-04-2023 18:44:10

(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : (1)/जी0एस0/शिक्षा/A3-122(1)/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. - सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. - निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. - प्राचार्य, गोपाल बाबू गोस्वामी राजकीय महाविद्यालय, चौखुटिया (अल्मोड़ा)।
4. - कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(एन0के0 पोखरियाल)
कुलाधिपति के उपसचिव।